पारतस्य (गुण-पन्) विभाग कमाक:प.७(२९)राज-1/2011 राजस्थान शू-राजस्व अभिनियम्1956 (1956 का काभिनियम् १५) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टोक की तहरील देवली के मूल राजरव ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कालम अख्या-5 में अकित भजारों / काणियों को एतद्रपश्चात राजस्व गाँव के रूप में भाना तथा अगिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल वर्तमान सामस्य गाव की कूर देह है जे का होकर काराम 👟 शाख्या-6 के अनुसार होगा:-02661400-2 तवीनं राजस्य ग्रामों के गठन से प्रमावित उपरोक्त भूनं एवं नवीन नवस्व ग्रामां के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतू उक्त अधिरियम की भारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखो के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर टींक को अधिकृत किया जाता है। जिला क लोक्टर अभिलेखन संबंधी समस्त कार्य परिपन्न कमांक प.9(16)राज- 1/07 दिनांक 20 8 09 के अनुसार निब्वादित कर राज्य रारकार की अवगत करायेगे।